सत्यमेव जयते

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

International Year of Cooperatives

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

श्री अमित शाह
माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

“सहकार-से-समृद्धि”

सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना

“मार्गदर्शिका”
(मानक संचालन प्रक्रिया)

सहकारिता मंत्रालय
भारत सरकार

1.चंद्रनगर ग्रुप सेवा सहकारी समिति, विरमगाम, गुजरात में निर्मित अनाज भंडारण संरचना

2 . अन्न भंडारण संरचना: नेरपिंगलाई पैक्स, अमरावती, महाराष्ट्र

स्रोत: सहकारिता मंत्रालय

विषयसूची

क्रम सं.	शीर्षक	पृष्ठ सं.
	संक्षेपाक्षरों/परिवर्णी शब्दों की सूची	*iii*
1	पृष्ठभूमि	1
2	योजना	1
3	कार्यान्वयन प्रणाली	2
4	विभिन्न हितधारकों की भूमिका और उत्तरदायित्व	13
5	बजटीय प्रावधान, वित्तीय समर्थन और डवटेलिंग	18
6	ब्रांडिंग, दृश्यता और गुणवत्ता आश्वासन	20
7	किराया आश्वासन	21
8	WDRA के अधीन विनियमन	23
9	निगरानी प्रणाली	24

अनुलग्नकों की सूची

क्रम सं.	शीर्षक	पृष्ठ सं.
अनुलग्नक I	अंतर-मंत्रालयीय समिति (IMC) की दूसरी बैठक में लिए गए निर्णय और की गई कार्रवाई	25
अनुलग्नक II	पायलट परियोजना का विवरण	27
अनुलग्नक III	विभिन्न समितियों की संरचना	28
अनुलग्नक IV	पैक्स की पहचान के लिए प्रतिमान	30
अनुलग्नक V	योजनाओं के अभिसरण के बारे में	31
अनुलग्नक VI	लागत लाभ विश्लेषण और गोदामों की वित्तीय व्यवहार्यता	36
अनुलग्नक VII	DCP और गैर DCP राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों का ब्यौरा	39
अनुलग्नक VIII	FCI के लागत मूल्य मॉडल पर आधारिता परिवहन	41
अनुलग्नक IX	भंडारण की कमियों की राज्य-वार सारांश (FCI)	43

फ्लो चार्ट

क्रम सं.	शीर्षक	पृष्ठ सं.
आकृति 1	फ्लो चार्ट– परिदृश्य I – राज्य एजेंसियों/ PMCs द्वारा निर्माण	4
आकृति 2	फ्लो चार्ट– परिदृश्य II – पैक्स द्वारा निर्माण	5

संक्षेपाक्षरों/परिवर्णी शब्दों की सूची	
AIF	Agriculture Infrastructure Fund
AMI	Agricultural Marketing Infrastructure
DCCBs	District Central Cooperative Banks
DCDC	District Cooperative Development Committee
DCP	Decentralised Procurement
DFPD	Department of Food & Public Distribution
DPR	Detailed Project Report
FCI	Food Corporation of India
FE	Fire Extinguisher
FB	Fire Bucket
MoC	Ministry of Cooperation
NABARD	National Bank for Agriculture and Rural Development
NABCONS	NABARD Consultancy Services
NAFED	National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India
NBCC	NBCC (India) Limited. Formerly known as National Buildings Construction Corporation
NCCF	National Cooperative Consumers' Federation of India Ltd
NCDC	National Cooperative Development Corporation
Non DCP	Non-Decentralised Procurement
PACS	Primary Agricultural Credit Societies
PMC	Project Management Consultant
PMFME	Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises Scheme
PMU	Project Monitoring Unit
SCDC	State Cooperative Development Committee
SMAM	Sub-Mission on Agriculture Mechanization
StCBs	State Cooperative Banks
UCB	Urban Cooperative Bank

1. पृष्ठभूमि

भारत ने लंबे समय से खाद्यान्न भंडारण की कमी से संबंधित चुनौतियों का सामना किया है जिसमें क्षमता की कमी, खाद्यान्न की बर्बादी, फसलों की संकटकालिक बिक्री, आदि शामिल है । इन समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार ने दिनांक 31 मई, 2023 को "सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना" को अनुमोदित किया । इस पहल का लक्ष्य कृषि अवसंरचना कोष (AIF), कृषि विपणन अवसंरचना योजना (AMI), कृषि यांत्रिकीकरण पर उपमिशन (SMAM) और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) जैसी विभिन्न मौजूदा सरकारी योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से प्राथमिक कृषि क्रेडिट समिति (PACS) के स्तर पर गोदामों, कस्टम हाइरिंग केंद्रों, कॉमन प्रसंस्करण इकाइयों सहित विकेंद्रीकृत कृषि अवसंरचना का निर्माण करना है । इस योजना के अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् 11 राज्यों के 11 PACS में गोदामों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है जिससे पायलट परियोजना के तौर पर 9,750 मीट्रिक टन की अतिरिक्त भंडारण क्षमता का निर्माण हुआ है और इसके अतिरिक्त 500 PACS में गोदामों की नींव डाली गई है ।

कार्यान्वयन के दौरान PACS को निम्न वित्तीय सहायता और गोदामों के बाजार लिंकेज जैसी कतिपय कमियों की पहचान की गई है । इन कमियों को दूर करने के लिए IMC की दूसरी बैठक में इस योजना के सुचारु निष्पादन के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जो **अनुलग्नक-I** में उल्लिखित हैं । तदनुसार, संबंधित विभागों द्वारा अन्न भंडारण परियोजना के त्वरित कार्यान्वयन के लिए विभिन्न सुधारात्मक उपाय किए गए हैं । आगे बढ़ते हुए गोदाम निर्माण को पूरा करने, वैकल्पिक वित्तीयन मॉडलों को अपनाने और निर्मित गोदामों को किराये पर लेने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा ।

2. योजना

इस योजना का लक्ष्य भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से देश भर के व्यवहार्य PACS में खाद्यान्न भंडारण और विभिन्न अन्य कृषि अवसंरचना का सृजन करना है । इस योजना के पायलट परियोजना को NABCONS द्वारा 11 राज्यों अर्थात् असम, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के 11 PACS में पूरा कर लिया गया है जिससे PACS के स्तर पर कुल 9750 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता का सृजन हुआ है जिसका ब्यौरा अनुलग्नक II में वर्णित है । इस योजना को 500 से भी अधिक अतिरिक्त PACS में विस्तारित किया गया है जहां माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इसकी नींव डाली गई है ।

3. कार्यान्वयन प्रणाली

इस योजना के सुचारु और प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर से लेकर जिला स्तर तक विभिन्न स्तरों पर समितियां गठित की गई हैं, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

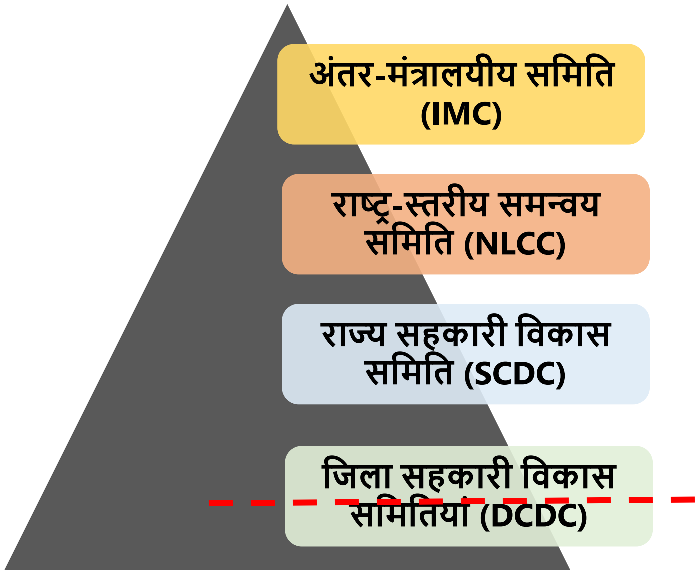

- माननीय गृह और सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में **अंतर-मंत्रालयीय समिति (IMC)**;
- सचिव, सहकारिता मंत्रालय की अध्यक्षता में **राष्ट्र-स्तरीय समन्वय समिति (NLCC)**;
- संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के स्तर पर **राज्य सहकारी विकास समितियां (SCDCs)**; और
- संबंधित जिला के जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तर पर **जिला सहकारी विकास समितियां (DCDCs)** ।

उपर्युक्त वर्णित समितियों की संरचना **अनुलग्नक- III** में दर्शाई गई है ।

इसके अलावा, सहकारिता मंत्रालय में विशेषज्ञों की देखरेख में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा एक परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU) स्थापित की गई है जो कार्यान्वयन की निगरानी करेगी, विभिन्न संबंधित हितधारकों के साथ समन्वय करेगी और इस परियोजना के सुचारु कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न एजेंसियों को सुविधा प्रदान करेगी ।

3.1 कार्यान्वयन की प्रक्रिया

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना का कार्यान्वयन एजेंसी है । सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना का कार्यान्वयन AIF, AMI, SMAM और PMFME जैसी विभिन्न मौजूदा सरकारी योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से किया जा रहा है । इस योजना में विभिन्न योजनाओं की उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का उपयोग कर प्राथमिक कृषि क्रेडिट समिति (PACS) स्तर पर गोदामों, कस्टम हाइरिंग केंद्रों, प्रापण सुविधाएं, और कॉमन प्रसंस्करण इकाइयों सहित विकेंद्रीकृत कृषि अवसंरचना का निर्माण करना शामिल है ।

पायलट परियोजना में 11 राज्यों के 11 PACS में गोदामों और अन्य कृषि अवसंरचना का निर्माण कार्य पूरा किया गया है । इसके अलावा, इस परियोजना के कार्यान्वयन में गति प्रदान करने के लिए नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड (NBCC India Ltd.) को और निर्माण एवं किराये के लिए भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित (NCCF) को परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (PMC) सेवाएं, भांडागारों के निर्माण में सहायता, तकनीकी सहायता, इत्यादि प्रदान करने के लिए एनसीडीसी द्वारा ऑनबोर्ड किया गया है । उपर्युक्त एजेंसियों के साथ-साथ, इस कार्यक्रम में कृषि भंडारण के निर्माण और किराये के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (PMC) के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (NAFED) भी प्रतिभाग कर रहा है ।

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के सहकारिता विभाग को भी PACS में कृषि अवसंरचना के निर्माण के लिए अपनी स्वयं की राज्य एजेंसियों को बतौर परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (PMC) नियुक्त करने की छूट दी गई है । यदि राज्य सहकारिता विभाग, एनसीडीसी द्वारा ऑनबोर्ड किए गई निर्माण एजेंसी के अलावा किसी अन्य एजेंसी की सेवा लेना चाहते हैं तो उस चुने गए एजेंसी को सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के डिज़ाइन और लोगो अपेक्षाओं का अनुपालन करना होगा । इसके अतिरिक्त, **PACS स्वयं ही निर्माण कार्य कर सकते हैं** परंतु उन्हें सभी प्रकार के निर्माण कार्य के लिए यथापेक्षित गुणवत्ता मानकों का अनुपालन करना होगा ।

अन्न भंडारण परियोजना की प्रक्रिया को इंगित करते फ्लो चार्ट **आकृति-I** और **आकृति-II** में दर्शाये गए हैं । PACS स्तर पर अन्न भंडारण के निर्माण में विस्तृत चरण-वार प्रक्रिया के साथ प्रत्याशित परिणाम और समय-सीमा **सारणी 1 और सारणी 2** में दर्शाये गए हैं।

कोटवा पाण्डे पैक्स, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश: सहकारिता मंत्रालय

आकृति- 1. फ्लो चार्ट –

परिदृश्य- I – राज्य एजेंसियों/PMCsद्वारा निर्माण

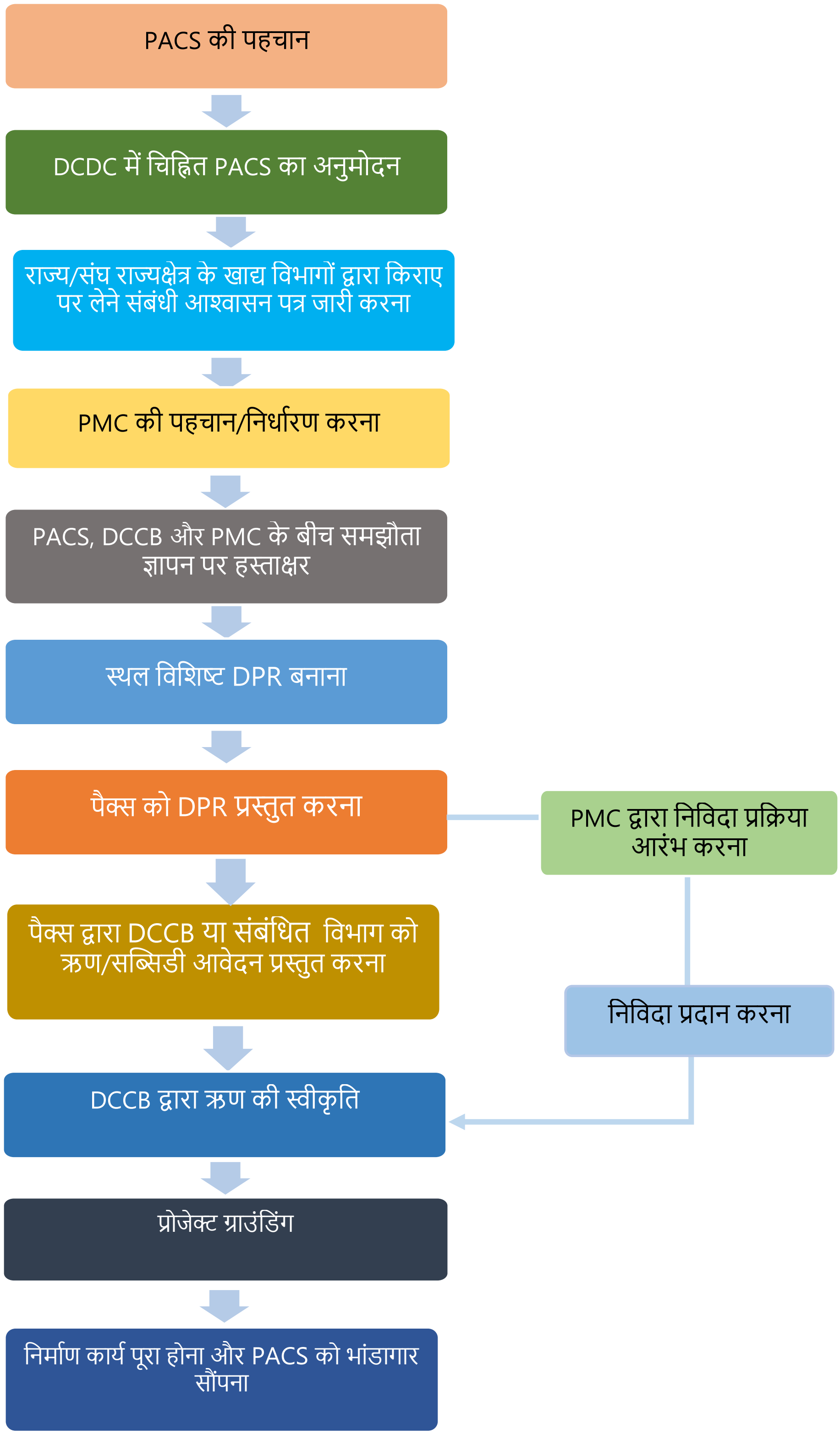

आकृति- 2 फ्लो चार्ट

परिदृश्य- II – PACS द्वारा निर्माण

सारणी 1 : परिदृश्य 1 – कार्यान्वयन पद्धति: अनुमानित परिणाम और समय-सीमा, राज्य एजेंसी/PMCs द्वारा निर्माण

क्रम सं.	कार्यक्रम	एजेंसी	अपेक्षित परिणाम	पूरा होने की समय सीमा
1.	पैक्स को चिह्नित करना	राज्य सहकारी विभाग	राज्य सहकारी विभाग के समन्वय से लाभप्रद पैक्स को चिह्नित करना, पैक्स स्तर पर उचित भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।	**D**
2.	जिला सहकारी विकास समिति (DCDC) में चिह्नित पैक्स का अनुमोदन	जिला कलेक्टर, DCDC, RCS	DCDC के माध्यम से पैक्स की उचित पहचान, जो DFPD/राज्य एजेंसियों के माध्यम से गोदामों को किराए पर लेना भी सुनिश्चित करेगी	**D + चिह्नित पैक्स से 1 महीना**
3.	PMC चिह्नित करना / अंतिम रूप देना	राज्य सहकारी विभाग	राज्य सहकारी विभाग कार्यान्वयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए निर्माण एजेंसियों को समय पर अंतिम रूप देना सुनिश्चित करेगा	चिह्नित पैक्स से **7 दिन**
4.	पैक्स, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCB)/ राज्य सहकारी बैंक (StCB) और PMC के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर	PMC, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCB)/ राज्य सहकारी बैंक (StCB)	त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर के साथ परियोजना में भाग लेने वाले पैक्स की संख्या को फ्रीज किया जा सकता है और कार्यान्वयन प्रक्रिया पर पैक्स का प्रारंभिक अभिविन्यास भी किया जा सकता है।	जिला सहकारी विकास समिति (DCDC) में चिह्नित पैक्स के अनुमोदन से 7 दिन
5.	भूमि सर्वेक्षण और पैक्स की आवश्यकता को चिह्नित करना	परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता(PMC)	पैक्स आवश्यकताओं के मूल्यांकन के साथ उचित भूमि सर्वेक्षण पैक्स विशिष्ट विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) की तैयारी सुनिश्चित करेगा।	समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने से **20 दिन**
6.	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करना	परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (PMC), राज्य सहकारी विभाग	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करना सुनिश्चित किया	
7.	पैक्स द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) की प्रस्तुति और अनुमोदन	पैक्स/ राज्य सहकारी विभाग / PMC	अनुमोदन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को पैक्स के समक्ष प्रस्तुत करना। DRCS और DCCB पैक्स द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) का अनुमोदन सुनिश्चित करेंगे	जमा करने से **10 दिनों** के भीतर पैक्स को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR)
8.	PMC द्वारा निविदा प्रक्रिया की शुरुआत	PMC	निर्माण एजेंसियों को किराये पर रखना	**पैक्स से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त होने के बाद 1 एक दिन**

				के भीतर निविदा की शुरुआत
9.	भारत सरकार की योजनाओं (AIF, AMI, SMAM, PMFME, MIDH, PMKSY, आदि) के अधीन ऋण और लाभ प्राप्त करने के लिए पैक्स द्वारा DCCB या संबंधित विभाग को आवेदन प्रस्तुत करना	पैक्स/DCCB/StCB	सब्सिडी प्राप्त करने के लिए संबंधित पोर्टल पर पैक्स आवेदनों को प्रस्तुत करना	पैक्स द्वारा DPRs अनुमोदन से **2 दिन**
(i)	AIF पोर्टल पर आवेदन शुरू करना	पैक्स/DCCB/StCB		
(ii)	AIF-PMU द्वारा सत्यापन	AIF-PMU		
(iii)	DCCB)/StCB द्वारा सत्यापन	DCCB/StCB		
(iv)	AIF पोर्टल में नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय का अनुमोदन	नाबार्ड		
10.	ऋण का मूल्यांकन और स्वीकृति	DCCB/StCB	DCCB/StCB द्वारा शंकाओं का समाधान और ऋण की स्वीकृति	DCCB को DPR प्रस्तुत करने से **14 दिन**
11.	निविदा प्रदान करना	PMC	निर्माण कार्य हेतु निर्माण एजेंसियों को ऑनबोर्ड करना	ऋण संस्वीकृति से **45 दिन**
12.	परियोजना ग्राउंडिंग	PMC, पैक्स, राज्य सहकारी विभाग, DCCB/StCB	पत्थर बिछाने और निर्माण कार्य को शुरू करना	निविदा प्रदान करने से **10 दिन**
13.	निर्माण पूरा करना	PMC	कार्य को पूरा करना और पैक्स को गोदाम सौंपना तथा कारबार शुरू करना	निर्माण कार्य शुरू होने से **6 महीने**

गैंट चार्ट – I : समयावधि - राज्य एजेंसियों/PMC द्वारा निर्माण कार्य

क्रम सं.	कार्यकलाप	उत्तरदायित्व	1 माह	2 माह	3 माह	4 माह	5 माह	6 माह	7 माह	8 माह	9 माह
1.	पैक्स को चिह्नित करना	राज्य सहकारी विभाग									
2.	DCDC में चिह्नित पैक्स का अनुमोदन	जिला कलेक्टर, DCDC, RCS									
3.	किराया आश्वासन पत्रों को जारी करना	राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों के खाद्य विभाग									
4.	PMC चिह्नित करना/अंतिम रूप देना	राज्य सहकारी विभाग									
5.	पैक्स, DCCB/ StCB और PMC के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर	PMC, DCCB/StCB									
6.	स्थल विशिष्ट DPR) तैयार करना	PMC, राज्य सहकारी विभाग									
7.	PMC द्वारा निविदा प्रक्रिया की शुरुआत	PMC									
8.	पैक्स को DPR की प्रस्तुति	पैक्स/राज्य सहकारी विभाग// PMC									
9.	भारत सरकार की योजनाओं (AIF, AMI, SMAM, PMFME, MIDH, PMKSY, आदि) के अधीन ऋण और लाभ प्राप्त करने के लिए पैक्स द्वारा DCCB या संबंधित विभाग को आवेदन प्रस्तुत करना	PACS / DCCB/StCB									
9. (i)	AIF पोर्टल पर आवेदन शुरू करना	PACS / DCCB/StCB									
9. (ii)	AIF-PMU द्वारा सत्यापन	AIF-PMU									
9. (iii)	DCCB)/StCB द्वारा सत्यापन	DCCB / StCB									
9. (iv)	AIF पोर्टल में नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय का अनुमोदन	NABARD									
10	ऋण का मूल्यांकन और स्वीकृति	DCCB/StCB									
11.	निविदा प्रदान करना	PMC									
12.	परियोजना ग्राउंडिंग	MoC, PMC, RCS									
13.	निर्माण पूरा करना	PMC									

सारणी 2: परिदृश्य II - कार्यान्वयन पद्धति - निर्माण एजेंसी के रूप में पैक्स के अपेक्षित परिणाम और समयावधि

क्रम सं.	कार्यक्रम	एजेंसी	अपेक्षित परिणाम	पूरा होने की समय सीमा
1.	पैक्स को चिह्नित करना	राज्य सहकारी विभाग	राज्य सहकारी विभाग के समन्वय से लाभप्रद पैक्स को चिह्नित करना, पैक्स स्तर पर उचित भूमि उपलब्धता सुनिश्चित करना	**D**
2.	जिला सहकारी विकास समिति (DCDC) में चिह्नित पैक्स का अनुमोदन	जिला कलेक्टर, DCDC, राज्य सहकारी विभाग	DCDC के माध्यम से पैक्स की उचित पहचान, जो DFPD/राज्य एजेंसियों के माध्यम से गोदामों को किराए पर लेना भी सुनिश्चित करेगी	**D** + पैक्स की पहचान से **1 माह**
3	किराया आश्वासन पत्र जारी करना	राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों के खाद्य विभाग	परियोजना व्यवहार्यता के लिए गोदामों को किराये पर लेना और DCCB/ StCB द्वारा ऋणों की त्वरित स्वीकृति सुनिश्चित करना	DCDC अनुमोदन से **7 दिन**
4.	DPR तैयार करना	पैक्स, राज्य सहकारी विभाग, DCCB/ StCB	पैक्स बोर्ड में DPR तैयार करना और अनुमोदन	DCDC में पैक्स के अनुमोदन से **1 माह**
5.	भारत सरकार की योजनाओं (AIF, AMI, PMFME, SMAM, MIDH, PMKSY, आदि) के अधीन ऋण और लाभ प्राप्त करने के लिए पैक्स द्वारा DCCB या संबंधित विभाग को आवेदन प्रस्तुत करना	पैक्स/ DCCB/ StCB	जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCB)/राज्य सहकारी बैंक (StCB) द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) का अनुमोदन	DPR तैयार होने से **2 दिन**
(i)	AIF पोर्टल पर आवेदन करना	पैक्स/ DCCB/ StCB		
(ii)	AIF-PMU द्वारा सत्यापन	AIF-PMU		
(iii)	DCCB/StCB द्वारा सत्यापन	DCCB/ StCB		
(iv)	AIF पोर्टल में नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय का अनुमोदन	नाबार्ड		
5.	ऋण का मूल्यांकन और स्वीकृति	DCCB/StCB	जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCB)/ राज्य सहकारी बैंक (StCB) द्वारा प्रश्न का समाधान और ऋण की स्वीकृति	DCCB को DPR जमा करने से **14 दिन**
6.	परियोजना ग्राउंडिंग	राज्य सहकारी विभाग, पैक्स/ DCCB/ StCB	पत्थर बिछाने और निर्माण कार्य को शुरू करना	ऋण की स्वीकृति से **10 दिन**
7.	निर्माण कार्य की समाप्ति	पैक्स/ DCCB/ StCB	कार्य को पूरा करना और पैक्स को गोदाम सौंपना और व्यावसायिक कार्यकलापों का प्रवर्तन	निर्माण शुरू होने **से 6 माह**

केस अध्ययन– नेरीपिंगलई पैक्स, अमरावती, महाराष्ट्र

सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के अंतर्गत इस समिति ने 3000 मीट्रिक टन के एक भांडागार का निर्माण किया है। समिति को AMI (कृषि विपणन अवंसरचना) और AIF (कृषि अवसंरचना निधि) योजनाओं से लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त, नाबार्ड की पुनर्वित्त सुविधा से प्रभावी ऋण ब्याज दर 1% है। लगभग 300 किसानों ने लगभग 32,000 बोरी सोयाबीन का भंडारण किया है और उपज के लिए उन्हें 4.50 करोड़ रुपये का अग्रिम दिया गया है। समिति को 2 रुपये/बैग प्रति माह की दर से किराया मिलेगा और इसके अलावा संवितरित राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज मिलेगा। इससे समिति को किराया स्वरूप प्रति वर्ष 7.68 लाख रुपये की आय होगी और ब्याज के रूप में 54 लाख रुपये की आय प्राप्त होगी। भांडागार तैयार होने से आसपास के क्षेत्र के अधिकाधिक किसानों के लिए अपनी उपज को भंडारित करना आसान हो गया है। इससे न सिर्फ किसानों को लाभ हुआ है बल्कि समिति की आय में भी वृद्धि हुई है। रोजगार के अवसरों का भी सृजन हुआ है।

नेरीपिंगली पैक्स भांडागार और समिति के सदस्यगण, स्रोत: सहकारिता मंत्रालय

गैंट चार्ट – II : समयावधि – निर्माण एजेंसी के रूप में पैक्स के साथ सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना

क्रम सं.	कार्यकलाप	उत्तरदायित्व	माह 1	माह 2	माह 3	माह 4	माह 5	माह 6	माह 7	माह 8	माह 9
1.	पैक्स को चिह्नित करना	राज्य सहकारी विभाग									
2.	DCDC में चिह्नित पैक्स का अनुमोदन	जिला कलेक्टर, DCDC, RCS									
3.	किराया आश्वासन पत्रों को जारी करना	राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों के खाद्य विभाग									
4.	DPR तैयार करना	पैक्स, राज्य सहकारी विभाग									
5.	भारत सरकार की योजनाओं (AIF, AMI, PMFME, SMAM, MIDH, PMKSY, आदि) के अधीन और लाभ प्राप्त करने के लिए पैक्स द्वारा DCCB या संबंधित विभाग को आवेदन प्रस्तुत करना	पैक्स/DCCB/StCB									
5. (i)	AIF पोर्टल पर आवेदन करना	पैक्स/DCCB/StCB									
5. (ii)	AIF - PMU द्वारा सत्यापन	AIF-PMU									
5. (iii)	DCCB/StCB द्वारा सत्यापन	DCCB/StCB									
5. (iv)	AIF पोर्टल में नाबार्ड आरओ अनुमोदन	नाबार्ड									
6.	ऋण का मूल्यांकन और स्वीकृति	DCCB/StCB									
7.	परियोजना ग्राउंडिंग	सहकारिता मंत्रालय, PMC, RCS									
8.	निर्माण पूरा करना और पैक्स को गोदाम सौंपना	PMC									

आकृति 3. परियोजना के प्रमुख पड़ाव

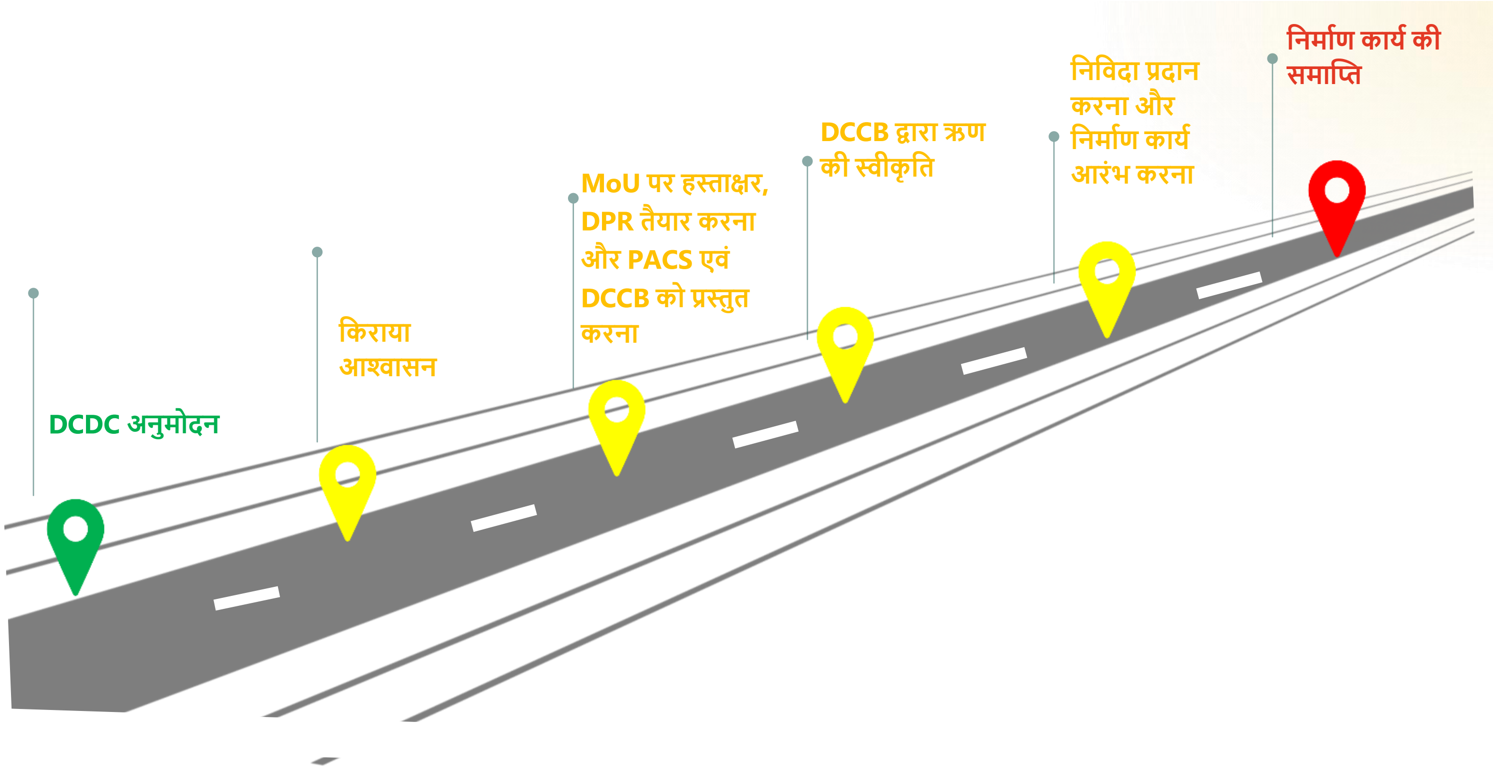

4. विभन्न हितधारकों की भूमिका और जिम्मेदारियां

परियोजना के प्रभावी और सुचारू कार्यान्वयन के लिए राज्य सहकारी विभाग, नाबार्ड, राज्य सहकारी बैंकों (StCBs), जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs), PMCs सहित सभी संबंधित हितधारकों का अनवरत सहयोग और समन्वय अपेक्षित होता है ।

नए अन्न भंडारण की स्थापना के लिए राज्य सहकारी विभाग DCDC/SCDC के माध्यम से उचित व्यवहार्य पैक्स की पहचान और सभी संबंधित हितधारकों के बीच समन्वय के लिए उत्तरदायी होंगे । व्यवहार्य पैक्स के चयन का मानदंड **अनुलग्नक IV** में वर्णित है । विभिन्न हितधारकों की विस्तृत भूमिका और जिम्मेदारियां नीचे उल्लिखित हैं:

1. सहकारिता मंत्रालय

क) अंतर-मंत्रालयी समिति (IMC) की बैठकें आयोजित करना ।

ख) सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के साथ अभिसरण करने वाली योजनाओं के दिशानिर्देशों को आवश्यकतानुसार संशोधित करना, जिससे योजना का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके ।

ग) पायलट परियोजना को लागू करने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों के साथ अपेक्षित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करना ।

क) पायलट परियोजना सहित सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करना ।

2. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

क) राज्य सरकारों और/या राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से पैक्स को ऋण सहायता प्रदान करना ।

ख) विशेष पुनर्वित्त योजना के अधीन MSC के रूप में पैक्स के लिए StCBs को 3% के दर से पुनर्वित्त उपलब्ध कराना जो पैक्स को 4% की दर पर आगे ऋण उपलब्ध कराएंगे (1% के मार्जिन को DCCBs और StCBs के बीच साझा किया जाएगा) ।

ग) पैक्स को ऋण संस्वीकृत करने में StCBs/DCCBs को हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान करना और पैक्स को समयबद्ध ऋण संवितरण की निगरानी करना ।

घ) परियोजना के कार्यान्वयन के लिए पैक्स/StCBs/DCCBs को अपेक्षित सहायता प्रदान करना ।

ङ) सब्सिडी लेने के लिए AMI योजना के ऑनलाइन आवेदन के लिए DCCBs/StCBs के माध्यम से पैक्स की सहायता करना ।

च) योजना के कार्यान्वयन के लिए कोई अन्य संबंधित मामले ।

3. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD)

क) संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा DCDC/SCDC में अनुमोदित पैक्स को किराया आश्वासन पत्र का जारीकरण सुनिश्चित करना

ख) अन्न भंडारण परियोजना के अधीन निर्मित गोदामों को उचित मूल्य की दुकानों, प्रापण केंद्रों और भंडारण केंद्रों के रूप में एकीकरण और निर्दिष्ट करने के लिए दिशानिर्देश जारी करना और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग को पैक्स के गोदामों को प्राथमिकता पर किराए पर लेने के लिए सलाह देना

ग) जिले में भडारण की कमियों की पहचान करने में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग को सलाह देना और उपयुक्त पैक्स की पहचान में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के साथ सूचना साझा करना ।

घ) पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अन्न भंडारण परियोजना की प्रगति की नियमित निगरानी करना ।

ङ) अन्न भंडारण परियोजना के अधीन DCDC / SCDC द्वारा अनुमोदित और पैक्स द्वारा निर्मित भंडारण सुविधाओं की संपूर्ण क्षमता का उपयोग सुनिश्चित करना

4. भारतीय खाद्य निगम (FCI)

क) जिले में भंडारण की कमियों की पहचान करना और DCDC / SCDC को सूचना प्रदान करना

ख) गैर-DCP राज्यों में जहां प्रापण, उपभोग से कम है और खाद्यान्न का परिवहन सड़क मार्ग से किया जाता है, वहां प्राथमिकता पर पैक्स गोदामों को किराये पर लेना

ग) ऐसे क्षेत्रों में जहां प्रापण, उपभोग से अधिक है वहां 2500 MT या उससे अधिक की क्षमता वाले निर्मित गोदामों को किराये पर लेना सुनिश्चित करना

घ) राज्य भंडारण निगम (SWC) / राज्य सरकार की एजेंसियों के माध्यम से गोदामों का किराया सुनिश्चित करना। इसकी प्रतिपूर्ति के लिए कवर एवं प्लिंथ (CAP) / पक्के गोदामों के लिए केंद्रीय भंडारण निगम (CWC) द्वारा निर्धारित दरें ही लागू होंगी।

5. राज्य सहकारी विकास समितियाँ (SCDCs):

क राज्य में ब्लॉक/पंचायत स्तर तक खाद्यान्न भंडारण की कमी, विपणन योग्य अधिशेष, मौजूदा भंडारण सुविधाओं, उनकी क्षमता उपयोग आदि का आकलन करना ।

ख अन्न भंडारण सुविधाओं और अन्य कृषि-अवसरंचना के निर्माण के लिए PACS/LAMPS/FSS को आवश्यक सरकारी/ग्राम सभा भूमि प्रदान करना ।

ग ऐसे PACS/LAMPS/FSS को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खाद्यान्नों की खरीद के लिए खरीद केंद्र के रूप में अधिसूचित करना ।

घ ऐसे PACS/LAMPS/FSS को उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) के लाइसेंस प्रदान करना ।

ङ PACS/LAMPS/FSS के लिए वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने हेतु संबंधित सभी हितधारकों के समन्वय से केंद्र/राज्य/निजी एजेंसियों के साथ PACS/LAMPS/FSS में निर्माण की जाने वाली कृषि अवसरंचना के लिंकेज स्थापित करने में सहायता करना ।

च पायलट परियोजना सहित सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना को सुगम बनाने के लिए जिलेवार योजनाओं की प्रगति की नियमित रूप से निगरानी और समीक्षा करना।

छ PACS/LAMPS/FSS के स्तर पर अवसरंचना के निर्माण के लिए सभी आवश्यक नीतिगत सहायता प्रदान करना ।

ज जिला सहकारी विकास समिति (DCDC) को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करना और आवश्यक निर्देश जारी करना तथा समयबद्ध तरीके से जमीनी स्तर पर योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए उनके परिणामों की समीक्षा करना ।

झ कोई अन्य संबंधित मामले ।

6. जिला सहकारी विकास समिति (DCDC)

क) मौजूदा भंडारण सुविधाओं की उपलब्धता, उनकी क्षमता उपयोग, भंडारण में कमी, प्रस्तावित गोदामों की क्षमता, आवेदक पैक्स की व्यवहार्यता, प्रस्तावित परियोजना का स्थान, कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स आदि की जांच और आकलन करना ।

ख) अन्न भंडारण सुविधाओं और अन्य कृषि-अवसरंचना के निर्माण के लिए PACS/LAMPS/FSS को आवश्यक सरकार/ग्राम सभा भूमि आबंटित करना ।

ग) ऐसे पैक्स/ LAMPS/FSS को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खाद्यान्नों की खरीद के लिए खरीद केंद्र के रूप में अधिसूचित करना ।

घ) ऐसे PACS/LAMPS/FSS को उचित मूल्य की दुकान (FPS) लाइसेंस प्रदान करना ।

ङ) भारत सरकार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सब्सिडी/ब्याज अनुदान प्राप्त करने के लिए NABCONS, NBCC या किसी अन्य राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय सहकारी संघ या किसी अन्य केंद्रीय/राज्य स्तरीय सरकारी एजेंसियों आदि के सहयोग से PACS/LAMPS/FSS के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPRs) तैयार करने में सुविधा प्रदान करना ।

च) कृषि अवसंरचना के निर्माण, नवीनीकरण, आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए आवेदक PACS/LAMPS/FSS के प्रस्ताव की सिफारिश करना ।

छ) PACS/LAMPS/FSS को उपयोगिताओं, सड़क संपर्क आदि सहित सभी आवश्यक लॉजिस्टिक और अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान करना ।

ज) PACS/LAMPS/FSS को अपेक्षित अनुमोदन/मंजूरी/अनुमति देने के लिए सभी लाइन विभागों के साथ समन्वय करना ।

झ) PACS/LAMPS/FSS के लिए वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित सभी हितधारकों के समन्वय से केंद्र/राज्य/निजी एजेंसियों के साथ PACS/LAMPS/FSS में बनाए जाने वाले कृषि अवसंरचना के लिंकेज स्थापित करने में सहायता करना ।

ञ) संबंधित सभी हितधारकों के साथ समन्वय करना और योजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करना ।

ट) कोई अन्य संबंधित मामले ।

7. राज्य सहकारी विभाग / आरसीएस

क) व्यवहार्य PACS को चिह्नित करना और जिला सहकारी विकास समिति (DCDC)/राज्य सहकारी विकास समिति (SCD)C के माध्यम से अनुमोदन प्राप्त करना ।

ख) निर्माण एजेंसी की पहचान और उसे अंतिम रूप देना ।

ग) परियोजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए पैक्स और PMCs को सहायता प्रदान करना ।

घ) अन्न भंडारण परियोजना के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करना ।

ङ) परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी समस्या का समाधान करना ।

च) सहकारिता मंत्रालय को परियोजना प्रगति का नियमित अपडेट देना।

छ) गोदामों के लिंकेज और किराये पर लेने में सहायता।

8. परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (PMCs) / निर्माण एजेंसियां

क) समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, सर्वेक्षण, निगरानी और कार्यान्वयन

ख) DPR तैयार करना और इसके अनुमोदन के लिए पैक्स को प्रस्तुत करना; इसके अलावा, परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (PMCs) को मृदा भार वहन परीक्षण, भूमि सर्वेक्षण, आदि जैसे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार से स्थल-विशिष्ट DPR तैयार करना

ग) राज्य सरकार के परामर्श से निर्माण कार्यकलापों की रूपरेखा तैयार करना

घ) गोदाम निर्माण हेतु ठेकेदार/विक्रेता को काम पर रखना

ङ) निर्माण कार्य/परियोजना की नियमित निगरानी करना

च) परियोजना को वांछित समय-सीमा में पूरा करना

छ) सुचारू कार्यान्वयन के लिए विभिन्न विभागों/एजेंसी के साथ समन्वय

ज) पैक्स के साथ समन्वय में काम करना

झ) ठेकेदार/वेंडर को समय पर भुगतान करना

ञ) पैक्स स्तर पर उत्पन्न होने वाले किसी भी जोखिम की रोकथाम के लिए जोखिम प्रबंधन रणनीतियाँ तैयार करना

ट) सहकारिता मंत्रालय और एनसीडीसी को प्रगति रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करना

ठ) निर्माण एजेंसियां गुणवत्ता आश्वासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए अधिदेशित हैं

9. नेफेड और एनसीसीएफ

निम्नलिखित के साथ परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (PMC) के रूप में कार्य करना:

क) अपने प्रापण क्षेत्र में उपयुक्त पैक्स की पहचान करना तथा राज्य सहकारी विभाग के साथ विवरण साझा करना

ख) जिन जिलों में इन एजेंसियों द्वारा प्रापण किया जाता है या प्रस्तावित है, उन जिलों में अन्न भंडारण परियोजना के अधीन निर्मित भांडागारों को किराए पर लेने के लिए पैक्स के साथ समझौता ज्ञापन/किराया करार पर हस्ताक्षर करना

ग) संबंधित एजेंसी द्वारा निर्मित गोदामों को किराए पर लेना

घ) अन्न भंडारण परियोजना के लिए पैक्स की हैंडहोल्डिंग करना

10. राज्य सहकारी बैंक (StCB)/जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCB)

क) अन्न भंडारण परियोजना में भाग लेने के लिए पैक्स को सहायता प्रदान करना

ख) पैक्स को ऋण सहायता प्रदान करना

ग) पैक्स को समयबद्ध ऋण संस्वीकृत करना

घ) संबंधित पोर्टलों पर सब्सिडी के लिए विभिन्न लागू योजनाओं के अधीन आवेदन करने में पैक्स को सहायता प्रदान करना

ङ) परियोजना स्थल की नियमित निगरानी

11. NABCONS

क) AIF योजना के अधीन पैक्स के आवेदनों के अनुमोदन में सहायता प्रदान करना ।

ख) खाते में ब्याज अनुदान के समयबद्ध संवितरण की निगरानी करना ।

ग) सहकारिता मंत्रालय को अन्न भंडारण योजना के लिए AIF आवेदनों से संबंधित रिपोर्ट समय पर उपलब्ध करना ।

5. बजटीय प्रावधान, वित्तीय सहायता और डवटेलिंग

अन्न भंडारण योजना में पैक्स हेतु कृषि और संबंधित कार्यकलापों के लिए अवसंरचना सुविधाओं के निर्माण के लिए **मौजूदा केंद्रीय योजनाओं के अनुमोदित परिव्यय का उपयोग** करना शामिल है । अंत:, **सहकारिता मंत्रालय द्वारा कोई अतिरिक्त बजट आबंटित नहीं है** । तथापि, पैक्स को लाभान्वित करने के लिए राज्य की मौजूदा योजनाओं को इस योजना के साथ डवटेल किया जा सकता है । विभिन्न योजनाओं के अधीन उपलब्ध निधियन सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम	सहायता के प्रकार	वित्तीय सहायता
1	AIF	ब्याज अनुदान	3% ब्याज अनुदान
2	AMI	सब्सिडी	33.33% सब्सिडी
3	SMAM	सब्सिडी	मशीन और उपकरणों की खरीद पर 40% सब्सिडी
4	PMFME	सब्सिडी	35% सब्सिडी
5	अन्न भंडारण	DCCB/StCB को पुनर्वित्त	NABARD द्वारा StCB/DCCB को @ 3% पर पुनर्वित्त इससे DCCB/StCB से @ 1% पर ऋण लेने में PACS को सहायता प्राप्त होगी

उपर्युक्त वर्णित योजनाओं के लाभ **अनुलग्नक V** में संक्षेप में दिए गए हैं। इसके अलावा, कुछ राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने अन्न भंडारण परियोजना के अधीन पैक्स को गोदामों के निर्माण में सहायता प्रदान करने की पहल की है। PACS को निधियन सहायता प्रदान करने वाले राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्रम सं.	राज्य	पैक्स को प्रदत्त लाभ
1	राजस्थान	पैक्स को 500 MT के गोदाम निर्माण में 100% वित्तीय सहायता (25 लाख रुपये प्रति पैक्स)
2	जम्मू और कश्मीर	पैक्स को 10% मार्जिन धनराशि की सहायता
3	झारखंड	पैक्स को 500 MT के गोदाम निर्माण में 100% वित्तीय सहायता (80 लाख रुपये प्रति पैक्स)
4	गुजरात	पैक्स को 5000 रुपये/MT सब्सिडी प्रदान किया जाता है, अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये

5.1 डवटेलिंग

राज्य प्रायोजित योजनाओं या AIF, MSC, आदि जैसी अन्य केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अधीन निर्मित गोदामों को सहकारी क्षेत्र में विश्व के सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के साथ डवटेल किया जा सकता है जो अन्न भंडारण योजना के मानकों और WDRA मानदंडों को पूरा करने के अध्यधीन होगा।

सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासकों और एजेंसियों को इस पहल के अधीन निर्मित गोदामों के डिजाइन *(PEB संरचना अधिमानित)*, लोगो और रंग-स्कीम में एकरूपता सुनिश्चित करनी होगी। इसके

अलावा, अन्न भंडारण योजना के अधीन इन पैक्स गोदामों को शामिल करने के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों को सहकारिता मंत्रालय के साथ निम्नलिखित ब्यौरा साझा करना होगा:

1. गोदाम निर्माण के संबंध में एक विस्तृत प्रस्ताव
2. स्थल विशिष्ट लागत अनुमान
3. संरचना का ब्यौरा और गोदामों के प्रकार (क्या ये PEB, स्व-सहायता, RCC, आदि हैं)
4. गोदामों का मौजूदा उपयोग
5. फोटोग्राफ
6. पैक्स के बोर्ड का संकल्प
7. गोदामों के स्वामित्व की स्थिति

6. ब्रांडिंग, दृश्यता और गुणवत्ता आश्वासन

6.1 ब्रांडिंग और दृश्यता: एकरूपता और दृश्यता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक भंडारण संरचना में अनुमोदित अन्न भंडारण लोगो होगा। सभी भंडारण सुविधाओं में ब्रांडिंग की एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए इस योजना के अनुमोदित लोगो और इसकी रंग-व्यवस्था को सभी राज्यों के साथ भी साझा किया गया है । इस ब्रांडिंग से योजना की एक सुलभ पहचान के निर्माण में मदद मिलेगी और हितधारकों के बीच विश्वसनीयता और जागरुकता में वृद्धि होगी । इसके अलावा गोदामों की संरचना, पायलट परियोजना में निर्मित गोदामों (PEB संरचना) के अनुरूप होगी ।

अन्न भंडारण लोगो

6.2 गुणवत्ता आश्वासन:

क) **डिज़ाइन और अभियांत्रिकी (Engineering) मानक**: यह भांडागार के डिज़ाइन को स्थानीय जलवायु दशाओं के अनुकूल सुनिश्चित करने के लिए है । क्षरण रोधी टिकाऊ सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए और नुकसान के रोकथाम के लिए उचित वेंटिलेशन प्रणाली लगाई जानी चाहिए। संरचना WDRA मानदंडों के अनुरूप होनी चाहिए ।

ख) **निर्माण प्रथा:** निर्माण मानकों से परिचित कुशल श्रमिकों और अनुभवी ठेकेदारों से निर्माण कार्य कराया जाना चाहिए । डिजाइन विनिर्देशों और सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्माण के दौरान नियमित निरीक्षण और परीक्षण किए जाने चाहिए ।

ग) **सामग्री का चयन:** भंडारण संरचना की दीर्घायु और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए ।

घ) **नियमित गुणवत्ता ऑडिट:** स्थापित मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए पैक्स के निदेशक मंडली के साथ नियमित गुणवत्ता ऑडिट आयोजित किए जाएंगे। इससे भंडारण संरचना की समग्र गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद मिलेगी।

ङ) **सामुदायिक भागीदारी और पारदर्शिता:** पैक्स के सदस्यों को नियमित रूप से परियोजना की प्रगति की निगरानी करनी चाहिए। परियोजना प्रबंधन परामर्शदाताओं (PMC) को निर्माण की प्रगति और किए गए व्यय पर अपडेट साझा करना चाहिए। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है, जिससे समुदाय के भीतर विश्वास बढ़ता है।

7. किराया आश्वासन:

किराया आश्वासन सुनिश्चित करने और **पैक्स स्तर** पर विकसित की जा रही भंडारण क्षमता का **इष्टतम उपयोग** सुनिश्चित करने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, **DFPD, FCI और NCDC** के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित किया गया है।

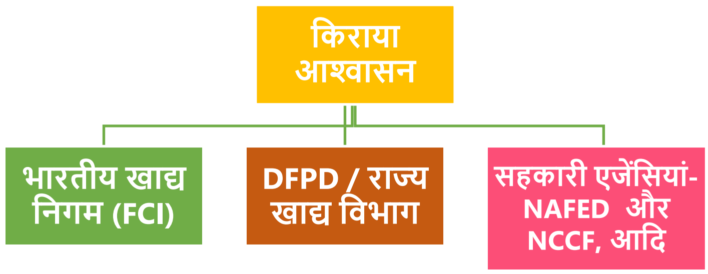

क) इस संबंध में **DFPD (भारत सरकार)** ने सभी **विकेंद्रीकृत प्रापण (DCP) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों** को निम्नलिखित सिफारिशों के साथ परामर्शी जारी किया है:

i. रणनीतिक अवस्थिति सुनिश्चित करने के लिए **सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना** के अधीन **पैक्स की अवस्थिति का चयन** और निर्मित किए जाने वाले गोदामों की **क्षमता** का अनुमोदन **DCDC और SCDC** द्वारा किया जाएगा।

ii. **DCDC/SCDC** में पैक्स का अनुमोदन होते ही **राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभागों** द्वारा प्रत्येक पैक्स को **किराया आश्वासन पत्र** जारी किए जाएंगे। ये पत्र पैक्स को **DCCBs/StCBs** से ऋण की स्वीकृती प्राप्त करने में सहायक होंगे। वित्तीय व्यवहार्यता के साथ लागत पत्र का नमूना **अनुलग्नक VI** पर दिया गया है।

iii. **अन्न भंडारण परियोजना** के अधीन निर्मित गोदामों को **उचित मूल्य की दुकानों (FPS), प्रापण केंद्रों और भंडारण केंद्रों** के रूप में निर्दिष्ट करने पर **प्राथमिकता के साथ विचार** किया जाएगा।

iv. इसके अतिरिक्त, प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए **राज्यों के अनंतिम लागत-पत्रों** (**provisional cost sheets)** में समर्थकारी प्रावधान शामिल किए गए हैं।

ख) **गैर-DCP राज्यों के लिए**, **FCI** ने **DCDC/SCDC** से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद **पैक्स के गोदामों** को किराये पर लेने के लिए **विशिष्ट निर्देश जारी किए हैं**। इन समितियों (DCDC/SCDC) में **FCI के प्रतिनिधि** सक्रिय रूप से **भंडारण की कमी वाले स्थानों की पहचान** करेंगे और ऐसे क्षेत्रों में **गोदाम निर्माण की सिफारिश** करेंगे । पैक्स में निर्मित गोदामों को **राज्य भांडागारण निगम (SWC) या संबंधित राज्य सरकार की एजेंसियों के माध्यम से किराये पर लिया जाएगा** जिससे सार्वजनिक भंडारण प्रणाली में निर्बाध एकीकरण सुनिश्चित होगा । इसके अतिरिक्त, इन गोदामों के लिए **प्रतिपूर्ति दरें CAP/कवर्ड स्टोरेज के लिए केंद्रीय भांडागारण निगम (CWC) द्वारा विहित दरों** का पालन करेंगी और **किराये पर देने में उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी** । DCP और गैर– DPC राज्यों का ब्यौरा **अनुलग्नक VII** में दर्शाया गया है ।

FCI के परिवहन लागत मॉडल पर सहकारिता मंत्रालय द्वारा एक नमूना विश्लेषण भी किया गया है । यह विश्लेषण चंदौली जिला, उत्तर प्रदेश के लिए किया गया था जिसमें प्रापण केंद्रों, चावल मिलों, उपभोग केंद्रों और FCI गोदामों के विभिन्न लागत मापदंडों और दूरी के साथ अन्य लागत मापदंडों को शामिल किया गया था । इस विश्लेषण में प्रापण केंद्र, FPS और चावल मिलों के रूप में पैक्स के बीच की दूरी का मानचित्रण करने के लिए **ट्रायांगुलेशन पद्धति** अपना कर उन **क्षेत्रों में इष्टतम अवस्थिति वाले पैक्स की पहचान** की गई जहां FCI या राज्य एजेंसियां पैक्स के माध्यम से खरीद कर सकती हैं, पैक्स के गोदामों में भंडारण और वितरण (FPS के माध्यम से) कर **परिवहन लागत में बचत** कर सकती है । इस विश्लेषण में ऐसे परिदृश्यों पर विचार किया गया है जहाँ **प्रापण ≤ उपभोग**, **प्रापण≥ उपभोग** तथा **खाद्यान्नों का परिवहन सड़क मार्ग से किया जाता है** । FCI द्वारा साझा की गई गणनाओं का ब्यौरा **अनुलग्नक VIII** में दिया गया है । इस प्रक्रिया का उपयोग पैक्स गोदाम के लिए इष्टतम स्थान की पहचान करने के लिए भी किया जा सकता है जहाँ से पैक्स द्वारा प्रापण, भंडारण और वितरण (FPS) का प्रबंधन किया जाएगा ।

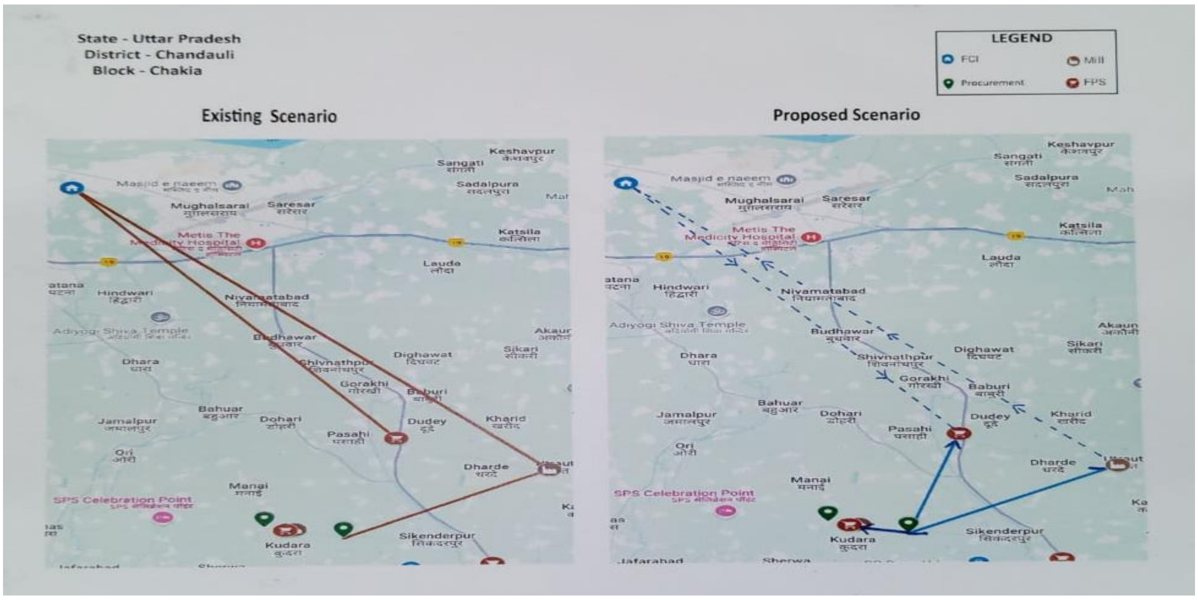

Diagram of Triangulation Method: Existing and Proposed Scenarios

ग) FCI एवं राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभागों के अलावा, **NAFED और NCCF,** दोनों को **दूसरी अंतर मंत्रालयीय समिति की बैठक** में **उन जिलों में जहां प्रापण कार्य किये जा रहे हैं या नियोजित है,** के **भांडागारों को किराये पर लेने के लिए पैक्स के साथ MoUs हस्ताक्षरित करने** के निर्देश दिए गए हैं । इस निर्देश का लक्ष्य जमीनी स्तर पर भंडारण और वितरण दक्षता में सुधार हेतु **पैक्स अवसंरचना** का लाभ लेकर **प्रापण कार्यों को सशक्त करना** है ।

8. भांडागार विकास और नियामक प्राधिकरण (WDRA) के अधीन विनियमन

भांडागार कार्यों में **वैज्ञानिक रूप से भंडारण, गुणवत्ता आश्वासन और पारदर्शिता** सुनिश्चित करने के लिए **भांडागार विकास और नियामक प्राधिकरण (WDRA)** ने मानकों और विनियमों की एक श्रृंखला निर्धारित की है । इन दिशानिर्देशों का लक्ष्य **भांडागारण प्रथाओं का मानकीकरण, प्रत्यायन सुविधा और नेगोशिएबल भांडागार रसीदों (NWRs)** को प्रोत्साहित करना, किसानों और सहकारी समितियों को **संस्थागत् ऋण और प्रभावशाली भंडारण समाधान** तक पहुंच सुनिश्चित करना है । **सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना** की रणनीतिक महत्व को देखते हुए WDRA ने इस परियोजना के अधीन पैक्स द्वारा निर्मित और स्वामित्व वाले गोदामों के पंजीकरण के लिए **अवसंरचना आवश्यकताओं** के संबंध में **विशेष छूट** दी है ।

पैक्स के गोदामों के पंजीकरण के लिए WDRA मानदंड

1. यदि गोदाम किसी ऊंचे स्थान पर स्थित है जहां जल निकासी अच्छी है और बाढ़/जलप्लावन की संभावना नहीं है तथा वह ऐसे स्थान से दूर है जहां रिसाव वाले पानी से प्रभावित होने की संभावना नहीं है, तो कम से कम 30 cm की प्लिंथ की ऊंचाई स्वीकार की जा सकती है ।

2. पैक्स गोदामों के मामले में पंजीकृत की जाने वाली क्षमता की न्यूनतम सीमा 100 मीट्रिक टन होगी।
3. वाहनों के लिए पार्किंग और संचालन स्थान की उपलब्धता पर जोर नहीं दिया जाएगा ।
4. गोदामों में गलियों के लिए उचित स्थान छोड़ते हुए स्टैक योजना बनाई जानी चाहिए ।
5. समिति के सचिव के अलावा पैक्स का एक और कर्मचारी गोदाम में माल के भंडारण और संरक्षण के लिए (पूर्णकालिक या अंशकालिक आधार पर) नियुक्त किया जाएगा ।
6. गोदाम के पंजीकरण के लिए सुरक्षा गार्ड की उपलब्धता वांछनीय हो सकती है लेकिन इस पर जोर नहीं दिया जा सकता है ।
7. पक्की चाहरदीवारी/कंटीले तार की बाड़ की उपलब्धता पर जोर नहीं दिया जाएगा । तथापि, गोदाम में ताला लगाने और स्टॉक की सुरक्षा/संरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए ।
8. 500 मीट्रिक टन क्षमता तक के पैक्स गोदामों में कम से कम 1 FE (अपेक्षित प्रकार का) और 6 FB होंगे ।
9. 500 मीट्रिक टन से अधिक की क्षमता वाले पैक्स गोदामों में 5 FE और 15 FB एफबी होंगे ।

10.निगरानी प्रणाली

राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र-स्तरीय समन्वय समिति (NLCC), राज्य स्तर पर राज्य सहकारी विकास समिति (SCDC) और जिला स्तर पर जिला सहकारी विकास समिति (DCDC) का गठन हो चुका है । राज्य सहकारी विकास समिति (SCDC) और जिला स्तर पर जिला सहकारी विकास समिति (DCDC) मासिक आधार पर समीक्षा करेंगी । तथापि, परियोजना की नियमित निगरानी सहकारिता मंत्रालय के उच्चतर स्तर पर भी की जा रही है ।

सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण के अधीन प्रतीकात्मक मॉडल

अनुलग्नक - I

अंतर-मंत्रालयीय समिति (IMC) की दूसरी बैठक में लिए गए निर्णय और की गई कार्रवाई

क्रम सं.	निर्णय	निर्णयों पर अब तक की गई कार्रवाई
	वित्तीय सहायता से संबंधित	
1.	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) के वर्तमान निर्माण लागत के आधार पर मैदानी और पूर्वोत्तर/पहाड़ी क्षेत्रों के लिए AMI सब्सिडी की गणना के संबंध में कृषि और किसान कल्याण विभाग (DA&FW) द्वारा आदेश जारी किया जाना	**AMI के अधीन निर्माण लागत मानदंड निम्नानुसार संशोधित:** **पूर्वोत्तर राज्य:** रु. 8,000/- प्रति मीट्रिक टन **अन्य क्षेत्र:** 1000 मीट्रिक टन तक : रु. 7,000/- प्रति मीट्रिक टन क्षमता सीमा 1000 मीट्रिक टन से अधिक: रु. 6,000/- प्रति मीट्रिक टन
2.	AMI के अधीन PACS को भी 33.33% सब्सिडी आबंटित करने (पहले यह 25% था) के संबंध कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा आदेश जारी किया जाना	• PACS अब @ 33.33% सब्सिडी प्राप्त करने के पात्र हैं • मार्जिन धनराशि अपेक्षा को भी 20% से घटाकर 10% कर दिया गया
3.	सब्सिडी गणना के लिए AMI योजना की परियोजना लागत में चाहरदीवारी, सड़क और पुल जैसी अवसंरचना शामिल करने के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा आदेश जारी किया जाना	पूंजीगत लागत पर भंडारण अवसंरचना (चाहरदीवारी, जल निकासी, आदि जैसी सहायक सुविधाओं अवसंरचना सहित) की सहायता के अलावा, अब PACS सहायक अवसंरचना पर अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी जो गोदाम घटक की कुल अनुमेय सब्सिडी से अधिकतम 1/3 तक या जो भी कम हो, केवल पैक्स पर ही लागू है ।
	गोदाम किराये पर लेना	
4.	उन जिलों में जहां NCCF और NAFED द्वारा प्रापण किया जाना या प्रापण प्रस्तावित है, वहां गोदामों को पट्टे पर देने	• NCCF ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ हायरिंग एग्रीमेंट प्रारूप साझा किया है । • इसके अतिरिक्त, NCCF ने 29 नवंबर को नासिक में 6 PACS के साथ हायरिंग समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं ।

	के लिए उनके द्वारा PACS के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करना	• अन्य राज्यों में भी जहां NCCF द्वारा प्रापण किया जा रहा है या प्रापण किए जाने की योजना है, वहां इसी प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा । • इसके अलावा NAFED ने हरियाणा, गुजरात और राजस्थान में चिह्नित 18 पैक्स के साथ समझौता ज्ञापनों और हायरिंग करार पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में है।
5.	कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा DCP राज्यों में PACS द्वारा निर्मित भांडागारों को भारतीय खाद्य निगम/राज्य सरकार की एजेंसी द्वारा किराए पर देना सुनिश्चित करना	DFPD ने दिनांक 27 नवंबर, 2024 के अर्धशासकीय पत्र के माध्यम से सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के अधीन निर्माण किए जा रहे गोदामों को जिला सहकारी विकास समिति (DCDC)/राज्य सहकारी विकास समिति (SCDC) के माध्यम से स्थल और क्षमता के अध्यधीन उचित मूल्य की दुकानों (FPS), प्रापण केंद्रों, भंडारण केंद्रों, आदि के रूप में निर्धारित करने के लिए प्राथमिकता देंने के लिए एक परामर्शी जारी की है। इसे खाद्यान्न के प्रापण/भंडारण के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को DFPD द्वारा सरकार अनुमोदित दरों पर प्रतिपूर्ति दावों को जारी करने की एक पूर्वापेक्षा के रूप में माना जाएगा । राज्यों के अनंतिम लागत पत्र में इसके लिए समर्थकारी प्रावधान भी अंतर्विष्ट किए जा रहे हैं इसके अलावा, DFPD ने राज्य को परियोजना के तहत बनाए गए गोदामों के उपयोग के लिए पैक्स को आश्वासन पत्र जारी करने का निर्देश दिया है।

अनुलग्नक- II

पायलट परियोजना का विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिला	पैक्स का नाम	गोदाम की क्षमता (मीट्रिक टन)	निर्मित अवसंरचना
1.	महाराष्ट्र	अमरावती	नेरिपांगलाई विविध कार्यकारी सहकारी संस्था	3,000	गोदाम
2.	उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर	बहुद्देश्यीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति लिमिटेड, कोटवा पांडे	1,500	गोदाम
3.	मध्य प्रदेश	बालाघाट	बहुद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटी मर्यादित, परसवाड़ा	500	गोदाम + धान प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई
4.	गुजरात	अहमदाबाद	चंद्रनगर ग्रुप सेवा सहकारी मंडली लिमिटेड	750	गोदाम
5.	तमिलनाडु	थेनी	सिलामरथुपट्टी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसायटी	1,000	गोदाम
6.	राजस्थान	श्री गंगानगर	घुमुडवाली ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड	250	गोदाम + बीज ग्रेडिंग इकाई + कस्टम हायरिंग सेंटर
7.	तेलंगाना	करीमनगर	प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, गंभीरोपेट	500	गोदाम+ प्रसंस्करण इकाई
8.	कर्नाटक	बीदर	प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, एकंबा	1,000	गोदाम+ प्रसंस्करण इकाई
9.	त्रिपुरा	गोमती	खिलपारा प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड	250	गोदाम + प्रसंस्करण इकाई + ग्रामीण हाट
10.	असम	कामरूप	2 नं. पब बोंगशर जी.पी.एस.एस लिमिटेड	500	गोदाम
11.	उत्तराखंड	देहरादून	बहुद्देश्यीय किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, सहसपुर	500	गोदाम
	कुल			**9,750**	

विभिन्न समितियों का गठन

क) अंतर-मंत्रालयीय समिति (IMC)

'सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना' को सुगम बनाने के लिए अनुमोदित परिव्ययों और निर्धारित लक्ष्यों के भीतर संबंधित मंत्रालयों की चिह्नित योजनाओं के दिशानिर्देशों/कार्यान्वयन पद्धतियों में आवश्यकतानुसार, आशोधन करने के लिए माननीय सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है। माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री; माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री एवं माननीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री तथा संबंधित सचिव इस अंतर-मंत्रालयी समिति के सदस्य हैं।

ख) राष्ट्र-स्तरीय समन्वय समिति (NLCC)

सचिव (सहकारिता) की अध्यक्षता में संबंधित मंत्रालयों के सचिवों; राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के सहकारिता सचिवों; अध्यक्ष नाबार्ड, भारतीय खाद्य निगम (FCI), केंद्रीय भांडागार निगम (CWC) तथा भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (WDRA); प्रबंधन निदेशक एनसीडीसी, इत्यादि को सदस्य के रूप में शामिल करके राष्ट्र-स्तरीय समन्वय समिति (NLCC) का भी गठन किया गया है।

ग) राज्य सहकारी विकास समिति (SCDC)

संबंधित राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर राज्य सहकारी विकास समिति (SCDC) का भी गठन किया गया है। संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के सचिव सहकारिता इस समिति के संयोजक हैं और राज्य के कृषि; खाद्य और नागरिक आपूर्ति; ग्रामीण विकास; राजस्व; बागवानी; वित्त विभागों के अपर मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों/सचिवों; सहकारी समितियों के पंजीयक; नाबार्ड, एनडीडीबी, एनएफडीबी के प्रतिनिधिगण; राज्य सहकारी बैंक, भारतीय खाद्य निगम, भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (WDRA), केंद्रीय भांडागार निगम (CWC), राज्य भांडागार निगम (SWC) के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, आदि इसके सदस्य होंगे। विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (DPRs), आदि को तैयार करने में PACS की सहायता के लिए राज्य सरकारें किसी एजेंसी या वित्तीय विशेषज्ञों को ऑनबोर्ड कर सकती हैं।

घ) जिला सहकारी विकास समिति (DCDC)

जिला सहकारी विकास समिति (DCDC) का गठन संबंधित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में की गई है जिसमें कृषि, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, सहकारिता, पशुपालन और डेयरी, मत्स्य पालन, राजस्व जैसे विभिन्न विभागों के प्रतिनिधिगण; जिला विकास प्रबंधक (DDM) नाबार्ड; प्रबंध निदेशक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCB); भारतीय खाद्य निगम (FCI), केंद्रीय भांडागार निगम (CWC), राज्य भांडागार निगम (SWC), भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (WDRA), जिला दुग्ध संघों, जिला मात्स्यिकी परिसंघ के प्रतिनिधियों; सीईओ जिला पंचायत, आदि को बतौर सदस्य शामिल किया गया है । जिला सहकारिता अधिकारी/सहकारी समितियों के उप-पंजीयक इस समिति के संयोजक होंगे ।

पैक्स को चिह्नित करने के लिए मानदण्ड	
चिह्नित करना	• जिला सहकारी विकास समिति (DCDC) के माध्यम से चिह्नित करना और अनुमोदित किया जाना • पैक्स के गोदाम भंडारण की मांग वाले क्षेत्रों में होने चाहिए
भूमि	• पैक्स की अपनी भूमि होनी चाहिए • भूमि निचले और जलग्रस्त क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए • उपलब्ध भूमि वन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं होनी चाहिए या सामान्य संसाधनों में बाधा उत्पन्न करने वाली नहीं होनी चाहिए • पैक्स के सभी सदस्यों को गोदाम के निर्माण के लिए भूमि के उपयोग हेतु अपनी सहमति देनी चाहिए • पट्टे पर ली गई भूमि के मामले में इसे 20 वर्षों से अधिक समय के लिए पट्टे पर दिया जाना चाहिए
निवल परिसंपत्ति	• पिछले दो लगातार वित्तीय वर्ष में सकारात्मक होना चाहिए • बैंक डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए
लाभप्रदता	• पैक्स को पिछले तीन लगातार वित्तीय वर्ष में लाभप्रद होना चाहिए
न्यूनतम लाभ होना चाहिए	• पिछले तीन वर्षों का संचयी लाभ 5 लाख रुपये से अधिक होना चाहिए
व्यावसायिक कार्यकलाप	• एक से अधिक व्यवसाय कार्यकलाप (जैसे क्रेडिट, बीज और उर्वरक वितरण, भंडारण, प्रोसेसिंग यूनिट, प्रापण,कस्टम हायरिंग सेंटर, प्लेज फाइनेंसिंग आदि) में लगे पैक्स को अधिमान दिया जाना चाहिए।
योजना में भाग लेने के लिए अपेक्षित न्यूनतम भंडारण क्षमता	• अधिमानित भंडारण क्षमता 500 मीट्रिक टन से अधिक

अनुलग्नक -V

योजनाओं के अभिसरण के बारे में

I. कृषि अवसंरचना कोष (AIF)

योजना का परिचय:

कृषि अवसंरचना कोष (AIF) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक वित्तीय सहायता योजना है । इस कोष का प्राथमिक उद्देश्य फसल पश्चात् की अवसंरचना और सामुदायिक कृषि आस्तियों के विकास और उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके कृषि क्षेत्र को सशक्त करना है ।

योजना के लाभ:

- **ब्याज अनुदान:** ब्याज दर (ROI) की सीमा ≤ 9% और **3% प्रति वर्ष का अनुदान** (अनुदान पश्चात् 1% की दर से PACS के लिए नाबार्ड ऋण)
- **क्रेडिट गारंटी:** CGTMSE योजना के तहत रु. 2 करोड़ तक के ऋण के लिए (FPOs के लिए FPO संवर्धन निधि सहायता)
- **अभिसरण:** अनेक योजनाओं (मंत्रालयों, राज्य सरकार) के साथ डवटेल करने की अनुमति
- विभिन्न स्थानों पर 25 परियोजनाओं तक; रु. 2 करोड़ प्रति परियोजना
- **मार्जिन धनराशि अपेक्षाएं – 10%**

आवेदन की रीति:

- पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें - https://agriinfra.dac.gov.in/Home
- AIF पोर्टल में आवेदन की प्रक्रिया और अनुमोदन ।
- PACS द्वारा DPR के अनुमोदन के बाद, इसके लिए AIF पोर्टल पर आवेदन किया जाना चाहिए।
- AIF के PMU द्वारा AIF पोर्टल पर परियोजना को अनुमोदित होने की आवश्यकता है ।
- AIF के PMU द्वारा अनुमोदन के बाद, संबंधित DCCB द्वारा StCB को सिफारिश करनी चाहिए और StCB द्वारा अनुमोदन के लिए संबंधित नाबार्ड RO को सिफारिश करनी चाहिए ।
- DCCB द्वारा परियोजना की स्वीकृति दी जानी चाहिए और इस स्वीकृति को AIF पोर्टल में अपडेट करना चाहिए ।

- DCCB को ऋण राशि जारी करनी चाहिए और AIF पोर्टल में विवरण अपडेट करना चाहिए ।
- DCCB को AIF पोर्टल के माध्यम से ब्याज अनुदान का दावा करना चाहिए ।
- StCB और नाबार्ड RO द्वारा AIF PMU/MoA को ब्याज अनुदान की मंजूरी और उसे जारी करने के लिए सिफारिश की जाएगी ।

II. कृषि विपणन अवसंरचना (AMI)

योजना का परिचय:

ISAM की कृषि विपणन अवसंरचना (AMI) की उप-योजना कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है । सब्सिडी जारी करने के लिए नाबार्ड चैनेलाइजिंग एजेंसी है ।

योजना के लाभ:

- PACS @ 33.33% पर सब्सिडी प्राप्त करने के पात्र हैं ।
- **मार्जिन धनराशि की अपेक्षा– 10%**
- लागत मानदंड –

श्रेणी	सब्सिडी की दर	50 – 1000 मीट्रिक टन		1000 मीट्रिक टन से अधिक	
		निर्माण लागत	अनुदान/ मीट्रिक टन	निर्माण लागत	अनुदान/ मीट्रिक टन
पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप द्वीपसमूह संघ राज्यक्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों की राज्य एजेंसियां और NCDC के माध्यम से चैनलाइज़ किए गए सहकारी समितियों की परियोजनाएं	33.33%	रु 8,000/-	रु 2,666.40/-	रु 8,000/-	रु 2,666.40/-
पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्रों, पहाड़ी	33.33%	रु 8,000/-	रु 2,666.40/-	रु 8,000/-	रु 2,666.40/-

क्षेत्रों और PACS के अन्य सभी श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए					
अन्य क्षेत्रों में					
राज्य एजेंसियां और एनसीडीसी के माध्यम से चैनलाइज किए गए सहकारी समितियों की परियोजनाएं	25%	रु 7,000/-	रु 1,750/-	रु 6,000/-	रु 1,500/-
पंजीकृत FPOs, पंचायतों, महिलाओं, SC/ST उद्यमियों और उनके सहकारी समितियों/SHGs और PACS के लिए	33.33%	रु 7,000/-	रु 2,333/-	रु 6,000/-	रु 2,000/-
अन्य सभी श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए	25%	रु 7,000/-	रु 1,750/-	रु 6,000/-	रु 1,500/-

- उपर्युक्त के अलावा, PACS को चाहरदीवारी, आंतरिक सड़क, आंतरिक जल-निकासी प्रणाली, धर्मकांटा, ग्रेडिंग पैकिंग, गुणवत्ता परीक्षण और प्रमाणन, अग्निशमन उपकरण, आदि जैसी सहायक सुविधाएं जो परियोजना संचालन हेतु कार्यात्मक रूप से आवश्यक हैं, के लिए अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जा सकती है । इस अतिरिक्त सब्सिडी को गोदाम घटक के लिए कुल अनुमेय सब्सिडी की अधिकतम 1/3 अथवा वास्तविक सब्सिडी, जो भी कम हो, पर सीमित की जा सकती है । इसके अलावा, यह प्रावधान केवल PACS तक सीमित है ।

आवेदन की रीति:

- पहली ऋण किस्त के संवितरण के 60 दिनों के भीतर नाबार्ड एन्श्युोर पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें -- https://ensure.nabard.org/#/login
- ज्यादा जानकारी के लिए कृपया अनुसरण करें - https://dmi.gov.in/Schemeamigs.aspx

III. कृषि यांत्रिकीकरण पर उप-मिशन (SMAM)

योजना का परिचय:

कृषि यांत्रिकीकरण पर उप-मिशन (SMAM) किसानों में आधुनिक और कुशल कृषि मशीनरी और उपकरणों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है । यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन "नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्स्टेंशन एंड टेक्नोलॉजी" (NMAET) नामक एक वृहद योजना का हिस्सा है ।

योजना के लाभ:

SMAM योजना का लक्ष्य फार्म-मशीनरी परितंत्र का सृजन करना है जो भारत में समावेशी और संवहनीय कृषि यांत्रिकीकरण सुनिश्चित करते हुए विभिन्न क्षेत्रों और संस्यन पद्धतियों में किसानों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना है । यह योजना कृषि मशीनरी और उपकरणों की खरीद और स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है ।

- ➢ प्रशिक्षण/प्रदर्शन के लिए - किसानों के खेतों पर प्रदर्शन के लिए फसलोपरान्त प्रौद्योगिकी मशीनों सहित मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए 80% सहायता अनुदान
- व्यक्तिगत लाभार्थी - मशीन लागत का 40%; अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमांत किसानों तथा पूर्वोत्तर के लाभार्थियों के लिए मशीन लागत का 50% (DBT के अंतर्गत)
- कस्टम हायरिंग केंद्र - मशीन लागत का 40%

आवेदन की रीति

- ➢ योजना के राज्य नोडल एजेंसी पोर्टल पर ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन करें

IV. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME)

योजना के बारे में:

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) भारत सरकार द्वारा देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के उन्नयन और विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक फ्लैगशिप योजना है और इसका लक्ष्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, विशेष रूप से छोटे और सूक्ष्म उद्यमों का समर्थन करना है ।

योजना के लाभ:

➢ ***व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों को सहायता:***

- पात्र परियोजना लागत का @35% क्रेडिट-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी
- अधिकतम सीमा - रु.10.0 लाख प्रति यूनिट

- लाभार्थी अंशदान - परियोजना लागत का 10% और शेष राशि बैंक से ऋण

➢ ***FPOs/उत्पादक सहकारी समितियों को सहायता:***

- क्रेडिट लिंकेज के साथ @35% अनुदान
- प्रशिक्षण सहायता

➢ ***SHGs को सहायता:***

- SHG के प्रति सदस्य को @ रु. 40,000/- की मूल पूंजी - कार्यशील पूंजी
- व्यक्तिगत SHG सदस्य - @35% का क्रेडिट लिंक्ड अनुदान जो रु. 10 लाख पर सीमित
- SHG को प्रशिक्षण और हैंडहोल्डिंग सहायता

➢ ***कॉमन अवसंरचना के लिए सहायता (हाइरिंग आधार पर):-*** *PACS आवेदन इस श्रेणी के अंतर्गत किए जाने हैं।*

- **पात्र लाभार्थी: FPOs, SHGs, सहकारी समितियां, अन्य कोई सरकारी एजेंसी या निजी उद्यम**
- सब्सिडी: @ 35% क्रेडिट लिंक्ड अनुदान

आवेदन की रीति

- ऑनलाइन आवेदन करें-https://pmfme.mofpi.gov.in/pmfme/#/Home-Page

अनुलग्नक VI

मैदानी क्षेत्रों में गोदाम और प्रापण केंद्र की लागत लाभ और वित्तीय व्यवहार्यता के उदाहरण

क्रम.सं.	मद	अनुमानित लागत		
1. मानक गोदाम विवरण				
A	**गोदाम की क्षमता (मीट्रिक टन)**	**1,000.00**	**गोदाम**	**अनुषंगी**
B	जीएसटी सहित गोदाम की लागत	99,73,134.00	71,66,706.00	28,06,428.00
C	मार्जिन मनी %	10.00%		
	मार्जिन मनी	9,97,313.40		
D	सब्सिडी (रुपए/मीट्रिक टन)	3,111.11	2,333.33	777.78
	सब्सिडी राशि	31,11,110.00		
E	**ऋण का वित्तपोषण बैंक द्वारा किया जाएगा**	**58,64,710.60**		

मद	अनुमान	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5	वर्ष 6	वर्ष 7
स्थापित क्षमता (**मीट्रिक टन**)	1,000.00							
किराये के लिए क्षमता उपयोग	70%	70%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
प्रति वर्ष प्रति मीट्रिक टन किराया (रुपए में)	1,226.40	1,226.40	1,263.19	1,301.09	1,340.12	1,380.32	1,421.73	1,464.39
प्रापण के लिए क्षमता उपयोग	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
अनाज का प्रापण - RMS और KMS (मीट्रिक टन में)	2,000.00							

मद	अनुमान	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5	वर्ष 6	वर्ष 7
प्रति मीट्रिक टन प्रापण कमीशन (रुपए में)	300.00	300.00	309.00	318.27	327.82	337.65	347.78	358.22
आय								
किराये से आय	3%	8,58,480.00	1,36,872.80	11,70,978.98	12,06,108.35	12,42,291.60	12,79,560.35	13,17,947.16
कमीशन (प्रापण) से आय	3%	6,00,000.00	6,18,000.00	6,36,540.00	6,55,636.20	6,75,305.29	6,95,564.44	7,16,431.38
कुल आय		**14,58,480.00**	**17,54,872.80**	**18,07,518.98**	**18,61,744.55**	**19,17,596.89**	**19,75,124.80**	**20,34,378.54**
व्यय								
वेतन (एक स्टाफ के लिए 15,000 रुपए)	5%	1,80,000.00	1,89,000.00	1,98,450.00	2,08,372.50	2,18,791.13	2,29,730.68	2,41,217.22
बिजली (प्रति माह 1,500 रुपए)	3%	12,600.00	16,686.00	17,186.58	17,702.18	18,233.24	18,780.24	19,343.65
फ्यूमिगेशन (प्रति तिमाही 2,500 रुपए)	6%	7,000.00	9,540.00	10,112.40	10,719.14	11,362.29	12,044.03	12,766.67
अन्य व्यय (रखरखाव और अन्य) 5000 रुपये प्रति माह	3%	60,000.00	61,800.00	63,654.00	65,563.62	67,530.53	69,556.44	71,643.14
कुल व्यय		**2,59,600.00**	**2,77,026.00**	**2,89,402.98**	**3,02,357.44**	**3,15,917.19**	**3,30,111.40**	**3,44,970.67**

मद	अनुमान	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5	वर्ष 6	वर्ष 7
अधिशेष		**11,98,880.00**	**14,77,846.80**	**15,18,116.00**	**15,59,387.11**	**16,01,679.70**	**16,45,013.40**	**16,89,407.87**
ब्याज पुनर्भुगतान		58,644.00	58,644.00	53,388.00	41,839.00	30,175.00	18,390.00	6,491.00
मूल्यह्रास (भवन लागत का 10%)	10%	9,97,313.40	8,97,582.06	8,07,823.85	7,27,041.47	6,54,337.32	5,88,903.59	5,30,013.23
शुद्ध लाभ		**1,42,922.60**	**5,21,620.74**	**6,56,904.15**	**7,90,506.64**	**9,17,167.38**	**10,37,719.81**	**11,52,903.64**
IRR के लिए शुद्ध नकदी प्रवाह		11,40,236.00	14,19,202.80	14,64,728.00	15,17,548.11	15,71,504.70	16,26,623.40	16,82,916.87
IRR (25 वर्ष)								
मूलधन की किश्तें		-	-	11,49,610.58	11,61,159.58	11,72,823.58	11,84,608.58	11,96,507.58
भुगतान किए जाने वाले ऋण		58,644.00	58,644.00	12,02,998.58	12,02,998.58	12,02,998.58	12,02,998.58	12,02,998.58

DCP और गैर DCP राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण

1. 1. विकेंद्रीकृत प्रापण (DCP) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

क्रम सं.	राज्य/क्षेत्र
1	बिहार
2	झारखंड
3	ओडिशा
4	पश्चिम बंगाल
5	त्रिपुरा
6	गुजरात
7	महाराष्ट्र
8	मध्य प्रदेश
9	छत्तीसगढ़
10	उत्तराखंड
11	आंध्र प्रदेश
12	तेलंगाना
13	केरल
14	कर्नाटक
15	पंजाब (गेहूं-डीसीपी)
16	तमिलनाडु
17	हरियाणा *(राज्य द्वारा प्रबंधित गेहूं)*

2. गैर-विकेन्द्रीकृत प्रापण (गैर-डीसीपी) राज्य / संघ राज्य क्षेत्र

क्रम सं.	राज्य / क्षेत्र
1	असम
2	राजस्थान

3	उत्तर प्रदेश
4	हिमाचल प्रदेश
5	जम्मू और कश्मीर
6	पुड्डुचेरी
7	सिक्किम
8	अरुणाचल प्रदेश
9	मेघालय
10	मिजोरम
11	मणिपुर
12	नागालैंड
13	गोवा
14	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
15	दिल्ली
16	चंडीगढ़

अनुलग्नक VIII

FCI मॉडल की परिवहन लागत

मौजूदा परिदृश्य		PPC/PACS -----> Mill ------> FCI Depot ---------> FPS										
								FCI डिपो से FPS तक परिवहन				
ब्लॉक का नाम	पैक्स/प्राप ण केंद्र का नाम	मिल का नाम	PPC/PACS से मिल तक की दूरी	PPC से मिल तक परिवहन लागत (रु./मीट्रिक टन)	मिल से FCI डिपो की दूरी	मिल से FCI डिपो तक परिवहन लागत (रु./मीट्रिक टन)	FCI डिपो तक कुल परिवहन लागत		FCI डिपो से FPS तक की दूरी	FCI से FPS केन्द्रों तक परिवहन लागत (रु./मीट्रिक टन)	परिवहन लागत का 50% केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति किया जाएगा	FCI/केन्द्र सरकार पर कुल लागत भार (रु./टन)
A	B	C	D	E	F	G	H=E+G	I	J	K	L=0.5*K	M=H+L
चकिया	UPCU B पैक्स रामपुर कलां	सुनील फूड्स इंडस्ट्रीज	14	214	51	477	691					829
		उत्कर्ष एग्रो	16	205	43	432	637	FPS 1	35	382	191	
		विंध्य एग्रो इंडस्ट्रीज	1	180	43	432	612	FPS 2	24	308	154	
	UPCU क्रय विक्रय	सुनील फूड्स इंडस्ट्रीज	1	180	51	477	657	FPS 3	32	362	181	
		उत्कर्ष एग्रो	12	188	43	432	621	FPS 4	43	**432**	216	
		विंध्य एग्रो इंडस्ट्रीज	13	205	43	432	637	FPS 5	34	375	188	
औसत			**9**	**195**	**45**	**447**	**643**		**34**	**372**	**186**	

प्रस्तावित परिदृश्य		PACS --------> Mill ---------> PACS -------> FPS						
ब्लॉक	**पैक्स/प्रापण केंद्र का नाम**	**मिल का नाम**	**PACS से मिल तक की दूरी**	**PACS से मिल तक परिवहन लागत (रु. /मीट्रिक टन)**	**मिल से पैक्स तक परिवहन लागत (रु./मीट्रिक टन)**	**PACS से FPS तक की लागत अधिकतम दूरी मानी गई (रु./मीट्रिक टन)**	**केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति (रु. प्रति मीट्रिक टन))**	**कुल परिवहन लागत (रु./मीट्रिक टन)**
चकिया	UPCU B PACS रामपुर कलान	सुनील फूड्स इंडस्ट्रीज	11	214	214	214	107	**534**
		उत्कर्ष एग्रो	10	205	205	214	107	**517**
		विंध्य एग्रो इंडस्ट्रीज	1	180	180	214	107	**466**
	UPCU क्रय विक्रय	सुनील फूड्स इंडस्ट्रीज	1	180	180	214	107	**466**
		उत्कर्ष एग्रो	9	188	188	214	107	**483**
		विंध्य एग्रो इंडस्ट्रीज	11	205	205	214	107	**517**

भारतीय खाद्य निगम के अनुसार भंडारण में कमी की स्थिति का राज्य-वार सारांश (FCI)

क्रम सं.	राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र	जिलों की संख्या जहां FCI प्रापण करता है	FCI के अनुसार घाटे में जिलों की संख्या (भंडारण कमी के संदर्भ में)	घाटे वाले जिलों के भंडारण आंकड़े (लाख मीट्रिक टन में)	समग्र भंडारण (लाख मीट्रिक टन में)
1	पंजाब	22	20	-42.28	-41.81
2	हरियाणा	21	19	-41.64	-41.29
3	आंध्र प्रदेश	16	16	-3.22	-3.22
4	असम	33	27	-2.36	-1.44
5	कर्नाटक	30	30	-1.42	-1.42
6	छत्तीसगढ़	28	19	-2.70	-1.01
7	हिमाचल प्रदेश	12	10	-0.71	-0.68
8	ओडिशा	30	17	-1.47	-0.57
9	त्रिपुरा	8	8	-0.47	-0.47
10	मेघालय	11	11	-0.39	-0.39
11	लद्दाख	2	2	-0.17	-0.17
12	केरल	14	14	-0.12	-0.12
13	सिक्किम	4	3	-0.11	-0.09
14	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	3	3	-0.06	-0.06
15	अरुणाचल प्रदेश	25	17	-0.15	-0.02
16	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3	3	0.00	0.00
17	मणिपुर	16	7	-0.19	0.02
18	गोवा	2	0	0.00	0.03
19	नागालैंड	11	10	-0.23	0.07

20	मिजोरम	8	6	-0.10	0.09
21	झारखंड	24	13	-0.67	0.12
22	बिहार	38	18	-5.50	0.72
23	जम्मू और कश्मीर	22	15	-0.96	0.87
24	तेलंगाना	32	14	0.00	0.94
25	दिल्ली	9	6	-0.93	0.99
26	उत्तराखंड	13	6	-0.17	1.85
27	उत्तर प्रदेश	75	37	-10.69	5.35
28	राजस्थान	33	4	-5.03	6.66
29	पश्चिम बंगाल	27	7	-0.48	8.50
30	गुजरात	36	10	-0.98	10.22
31	तमिलनाडु	41	15	-1.19	10.51
32	महाराष्ट्र	36	3	-0.52	15.67
33	मध्य प्रदेश	52	13	-7.65	50.73
	कुल	**737**	**403**	**-132.58**	**20.59**

भारतीय खाद्य निगम ने अपने 2021-22 के सर्वेक्षण के आधार पर राष्ट्रव्यापी भंडारण स्थिति साझा की है । आंकड़ों से राज्यों में भंडारण में महत्वपूर्ण असमानता का पता चलता है । 737 जिलों में से 403 जिलों में भंडारण की कमी है, जो कुल मिलाकर **-132.58 एलएमटी** है । पंजाब (**-42.28 एलएमटी**) और हरियाणा **(-41.64 एलएमटी**) कुल घाटे का 60% से अधिक योगदान करते हैं, जिसमें नकारात्मक समग्र भंडारण आंकड़े हैं, जो महत्वपूर्ण चुनौतियों का संकेत देते हैं। आंध्र प्रदेश, असम और कर्नाटक जैसे राज्यों में अधिकांश या सभी जिलों में घाटा दिखाई देता है, जो प्रणालीगत मुद्दों को दर्शाता है ।

मध्य प्रदेश (**50.73 एलएमटी**) और उत्तर प्रदेश (**5.35 एलएमटी**) जैसे अधिशेष राज्य अभी भी कई जिलों में घाटे की रिपोर्ट करते हैं, जिसमें असंतुलित वितरण पर प्रकाश डाला गया है । त्रिपुरा, मेघालय और सिक्किम जैसे छोटे राज्यों में मामूली घाटा-0.5 एलएमटी से कम है, जबकि बिहार और ओडिशा में समग्र अधिशेष के बावजूद, स्थानीय अंतराल का सामना करना पड़ता है । गोवा और नागालैंड मामूली अधिशेष के साथ संतुलित भंडारण प्रदर्शित करते हैं ।

निष्कर्ष उच्च-घाटे वाले राज्यों में लक्षित हस्तक्षेप और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए कुशल संसाधन वितरण की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

***

DCDC अनुमोदन के लिए उदाहरणात्मक चेकलिस्ट

क्रम सं.	मद	विवरण
1	जिले का नाम	
2	ब्लॉक/तहसील/मंडल की संख्या	
3	क्या जिला FCI / DFPD के अनुसार भंडारण की कमी वाला है?	

A.1 जिले का फसल मूल्यांकन

क्रम सं.	प्रमुख फसलें	वार्षिक उत्पादन (मीट्रिक टन)	वार्षिक खपत (मीट्रिक टन) (NFSA और OWS के अनुसार)	सरकारी प्रापण (मीट्रिक टन)	भंडारण अधिशेष / घाटा (मीट्रिक टन)

A.2 फसल/वस्तुवार भंडारण की आवश्यकता

क्रम सं.	ब्लॉक का नाम	फसल/वस्तु का नाम	भंडारण आवश्यकता (मीट्रिक टन)

B.1 ***भंडारण मूल्यांकन*** *(FCI /राज्य एजेंसियों/राज्य भंडारण निगम/राज्य सहकारी समितियों/* परिसंघ *या अन्य प्रासंगिक एजेंसी द्वारा भरा जाना है)*

क्रम सं.	मद	FCI	राज्य एजेंसियां / राज्य भंडारण निगम	राज्य सहकारी / परिसंघ	कुल (i+ii+iii)

		(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	वर्तमान स्थिति				
1	जिले में मौजूद गोदामों की संख्या (Nos)				
2	इन गोदामों की कुल क्षमता				
3	कुल क्षमता उपयोग मात्रा में (मीट्रिक टन)				
4	औसत भंडारण अवधि (माह में)				
5	भंडारण अंतराल (मीट्रिक टन)				
	आवश्यक क्षमता				
1	जिले में गोदामों की आवश्यक संख्या (Nos)				
2	कुल आवश्यक क्षमता (मीट्रिक टन)				

B.2 राज्य एजेंसी के स्वामित्व वाले गोदाम (

क्रम सं.	ब्लॉक का नाम	अवस्तिथि	क्षमता (मीट्रिक टन)	वर्तमान उपयोग	उपयोगकर्ता

B.3 राज्य एजेंसी द्वारा किराये पर लिए गए निजी गोदाम

क्रम सं.	ब्लॉक का नाम	अवस्तिथि	क्षमता (मीट्रिक टन)	वर्तमान उपयोग	उपयोगकर्ता

C.आवश्यकता– भंडारण कमी की उपर्युक्त चुनौतियों का समाधान करना

क्रम सं.	जिला	जिले में प्रस्तावित गोदामों की संख्या	निर्धारित की गई क्षमता (मीट्रिक टन)	प्रापण केंद्र से निर्धारित स्थान की दूरी	उपभोग केंद्र से निर्धारित स्थान की दूरी (PDS)

D. DCDC में अनुमोदन

क्रम सं.	ब्लॉक	भंडारण कमी (हाँ /नहीं)	भंडारण आवश्यकता (मीट्रिक टन)	भण्डारित की जाने वाली वस्तु	(राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, *FCI, NAFED, NCCF,* राज्य सहकारी परिसंघ, अन्य (निर्दिष्ट करें)) द्वारा आवश्यक भंडारण स्थान	(एजेंसी का नाम) द्वारा नियुक्ति आश्वासन प्रदान किया गया	DCDC में स्वीकृत (हां/ नहीं)	यदि नहीं, तो अस्वीकृति का कारण

E. प्रस्तावित PACS के बारे में संक्षिप्त जानकारी

क्रम सं.	ब्लॉक का नाम	PACS का नाम	उपलब्ध गोदामों की संख्या	उपलब्ध भंडारण क्षमता (मीट्रिक टन)	भूमि की उपलब्धता (हाँ /नहीं)	यदि हां, तो उपलब्ध क्षेत्रफल (एकड़ में)

मंत्रालय की वैबसाइट एवं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए नीचे दिये गए QR कोड को स्कैन करे –

सहकार से समृद्धि

Website - https://www.cooperation.gov.in/

Twitter Handle - https://x.com/MinOfCooperatn

YouTube Channel - https://www.youtube.com/MinOfCooperatn

Instagram Page - https://www.instagram.com/minofcooperatn

LinkedIn - https://www.linkedin.com/company/minofcooperatn/

सहकारिता मंत्रालय,
अटल अक्षय ऊर्जा भवन
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003